राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या–40 / 2013
अन्तर्गत
अपील संख्या–1570 / 2001
शिवराम सिंह

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम
श्री आर.एस. जाखड़, जिला कलेक्टर, करौली।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.08.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 1570 / 2001 में दिनांक 31.01.2012 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 31.01.2012 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

> *''अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ कब से दिया जाए इस सम्बंध में डब्ल्यू.एल.सी. (राजस्थान) 1998 (3) स्टेट ऑफ राजस्थान एवं बनाम कुलदीप सिंह चौहान एवं अन्य डी.वी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1333 / 1997 निर्णय दिनांक 16.01.1998 प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण की गणना परिपत्र की तिथि से न की जाकर कर्मचारी ने जब 9, 18 एवं 7 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तब से की जानी चाहिए तथा उक्त तिथि से ही पूर्व के 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को ध्यान में रखना चाहिए।*
>
> *माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बैंच) द्वारा हरिसिंह महला एवं अन्य बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 2329 / 2003 एवं 2368 / 2003 निर्णय दिनांक 21.05.2007 में अभिनिर्धारित किया है कि लिखित या अलिखित चेतावनी परिनिन्दा के तुल्य शास्ति नहीं है तथा ऐसी चेतावनी पदोन्नति में बाधक नहीं हो सकती है।*
>
> *अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त दोनों विनिर्णयों के अनुसरण में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 08.10.1958 से सेवा की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ, जिस दिनांक से सम्बंधित चयनित वेतनमान देय है, उससे पूर्व के सात वर्षों का रिकॉर्ड देखकर चयनित वेतनमान दिया जावें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग उन दण्डा–आदेशों जिनमें केवल*

लिखित/अलिखित चेतावनी दी गई है, को चयनित वेतनमान देने में बाधक नहीं मानते हुए आदेश पारित करें।

अपील अपीलार्थी उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।''

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे अभिकथन है कि अधिकरण के आदेश की पालना ठीक प्रकार से नहीं की गई है। अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को यह स्पष्ट करने के निर्देश दिये थे कि प्रत्यर्थी विभाग उन दण्डादेशों को जिनमें केवल लिखित/अलिखित चेतावनी दी गई है, को चयनित वेतनमान देने में बाधक नहीं मानते हुए आदेश पारित पारित करें। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 08.10.1958 को हुई थी, जिसके पश्चात 9 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ के लिए गत 7 वर्ष में केवल एक परिनिन्दा का दण्ड था। इस कारण से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देय दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर 25.01.1993 से दिया जाना चाहिए था, जबकि 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1994 से दिया गया। इस प्रकार अधिकरण के आदेशों की अवमानना की गई है।

3. अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में वर्ष 1967 से 1976 तक का रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए था, जिस अवधि के दौरान केवल एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड था। अतः द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ अपीलार्थी को 25.01.1993 से दिया जाना चाहिए था। परंतु अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ गलत प्रकार से दिनांक 25.01.1995 से दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने में अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं की गई है।

4. ठीक प्रकार से उनका आगे तर्क है कि 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में वर्ष 1976 से 1985 तक का रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए था। परंतु इस अवधि के दौरान एक दण्डादेश 1980 पारित किया गया है एवं वर्ष 1982 में एक अन्य दण्डादेश पारित किया गया है। इस प्रकार इस अवधि के दौरान केवल 2 दण्डों के प्रभाव से चयनित वेतनमान का लाभ केवल दो वर्ष आगे किया जा सकता था। इस प्रकार अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 25.01.1992 से दो वर्ष पश्चात 25.01.1994 से दिया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ दिनांक 25.01.1998 से दिया गया, जो उचित नहीं है। इस प्रकार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने में भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेशों की अवमानना की गई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 31.01.2012 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि

माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः बिना उचित कारण के जानबूझ कर अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 31.01.2012 की पालना पूर्णरूपेण करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

5. अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से इस अवमानना याचिका में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी शिवराम सिंह को पटवारी परीक्षा पास करने दिनांक 01.04.1962 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1994 से वेतन श्रंखला 1400–2600 (पुनरीक्षित वेतनमान 1989 के अंतर्गत) एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1995 1640–2900 (पुनरीक्षित वेतनमान 1989 के अंतर्गत) से एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1998 से 6500–10,500 (पुनरीक्षित वेतनमान 1998 के अंतर्गत) प्रदान किया जा चुका है व प्रार्थी/अपीलार्थी को समस्त ऐरियर इत्यादि राशि का भी भुगतान किया जाकर अपीलार्थी के खाते में दिनांक 03.01.2014 को जमा कराये जा चुके है।

6. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को विभिन्न आदेशों द्वारा दण्डित किया गया था। उनका विवरण अधिकरण के आदेश दिनांक 31.01.2012 में निम्न प्रकार से है:–

क्र.स.	दिनांक	दण्ड का प्रकार
1.	19.06.1962	परिनिन्दा का दण्ड
2.	19.04.1962	चेतावनी
3.	08.09.1970	एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड
4.	30.07.1980	दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड जो बाद में परिनिन्दा में परिवर्तित हुआ
5.	19.07.1982	चेतावनी
6.	04.03.1982	दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड
7.	06.03.1990	दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड
8.	07.08.1990	दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड
9.	01.02.1991	तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड
10.	22.02.2000	दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड
11.	1966–67	वार्षिक कार्य मुल्यांकन में प्रतिकूल प्रविष्टि
12.	1979–80	वार्षिक कार्य मुल्यांकन में प्रतिकूल प्रविष्टि
13.	1984–85	वार्षिक कार्य मुल्यांकन में प्रतिकूल प्रविष्टि

7. आदेशानुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.10.1958 मानते हुए 9 वर्ष की सेवा दिनांक 09.10.1967 को पूरी होती है। चयनित वेतनमान के लिए वर्ष 1967 से गत 7 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए था, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध केवल एक परिनिन्दा का दण्ड है। अतः हम पाते हैं कि 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देय दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर 25.01.1993 से दिया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ 25.01.1994 से दिया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी ने 18 वर्षीय सेवाएं वर्षीय सेवाएं वर्ष 1976 में पूरी कर ली थी। अतः द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ के लिए वर्ष 1976 से गत 7 वर्ष के सेवा रिकॉर्ड को देखा जाना चाहिए था, जिस दौरान अपीलार्थी के विरूद्ध एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड वर्ष 1970 का है। इस आधार पर अपीलार्थी का द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ केवल एक वर्ष आगे किया जाना चाहिए था। जिसके प्रभाव से अपीलार्थी द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 25.01.1993 प्राप्त करने का अधिकारी है। द्वितीय चयनित वेतनमान 25.01.1994 से दिया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा वर्ष 1985 में पूरी की थी। अतः चयनित वेतनमान के लाभ के लिये वर्ष 1985 से गत सात वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए था। अपीलार्थी को जो वर्ष 1978 से 1985 का रिकॉर्ड है, उस दौरान अपीलार्थी को दिनांक 30.07.1980 को प्रथम दण्डादेश एवं दिनांक 04.03.1982 का दूसरा दण्डादेश है। इस प्रकार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दो वर्ष आगे किया जा सकता था। अतः इनके प्रभाव से अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से दो वर्ष पश्चात 25.01.1994 से दिया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ दिनांक 25.01.1998 से दिया गया, जो उचित नहीं है। अतः तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी अपीलार्थी को गलत प्रकार से दिया गया है। अतः हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अधिकरण के आदेशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है।

8. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2012 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

> *"अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ कब से दिया जाए इस सम्बंध में डब्ल्यू.एल.सी. (राजस्थान) 1998 (3) स्टेट ऑफ राजस्थान एवं बनाम कुलदीप सिंह चौहान एवं अन्य डी.वी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1333/1997 निर्णय दिनांक 16.01.1998 प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण की गणना परिपत्र की तिथि से न की जाकर कर्मचारी ने जब 9, 18 एवं 7 वर्ष की सेवा*

पूर्ण की हो तब से की जानी चाहिए तथा उक्त तिथि से ही पूर्व के 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बैंच) द्वारा हरिसिंह महला एवं अन्य बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 2329/2003 एवं 2368/2003 निर्णय दिनांक 21.05.2007 में अभिनिर्धारित किया है कि लिखित या अलिखित चेतावनी परिनिन्दा के तुल्य शास्ति नहीं है तथा ऐसी चेतावनी पदोन्नति में बाधक नहीं हो सकती है।

अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त दोनों विनिर्णयों के अनुसरण में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 08.10.1958 से सेवा की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ, जिस दिनांक से सम्बंधित चयनित वेतनमान देय है, उससे पूर्व के सात वर्षों का रिकॉर्ड देखकर चयनित वेतनमान दिया जावें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग उन दण्डा–आदेशों जिनमें केवल लिखित/अलिखित चेतावनी दी गई है, को चयनित वेतनमान देने में बाधक नहीं मानते हुए आदेश पारित करें।

अपील अपीलार्थी उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।''

9. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

11. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में** अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

12. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 31.01.2012 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

13. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)